सं.31011/2/2006-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक :21 मई, 2007

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः अवकाश यात्रा का लाभ उठाते समय निजी हवाई जहाजों से यात्राओं का विनियमन।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के का.ज्ञा.सं. 31011/2/2006-स्था.(क) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के समय प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा के विनियमन के संबंध में है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा रेल से जुड़े स्थानों के बीच विमान यात्रा की जा सकती है बशर्ते कि किराए की प्रतिपूर्ति राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा रेल की हकदार श्रेणी के किराए तक प्रतिबंधित होगी।

2. उपर्युक्त उपबंध में आंशिक संशोधन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस रेल के लिए लागू दरों पर भी प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी इसका हकदार हो तथा सरकारी कर्मचारी की मुख्यालय/यात्रा के आरंभ का अनुमेय स्थल की अवकाश यात्रा रियायत के तहत गृह शहर/गंतव्य स्थल सीधे उपर्युक्त उल्लिखित रेलों से जुड़ा हो तथा दो स्थल जिनके बीच हवाई यात्रा की गई, राजधानी/शताब्दी रेलों से जुड़े हों। यदि अवकाश यात्रा रियायत पर विमान टिकट के लिए दिया गया किराया राजधानी/शताब्दी रेलों के लिए प्रभारित किराए से कम हो तो प्रतिपूर्ति वास्तविक किराए तक प्रतिबंधित होगी। सभी लंबित मामले तदनुसार इस आदेश की शर्तों के तहत निपटाए जा सकते हैं। तथापि पहले से निपटाए जा चुके पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

3. उपर्युक्त आदेश इस का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

5. इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 9 मई, 2007 की आई.डी.सं. 84/ई-IV/2007 के अन्तर्गत उनके परामर्श से जारी किया गया है।

ह०/-
(पी. प्रभाकरण)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग